

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 54

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02194

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अटल विहार योजना खरवानी", प्रमोटर-छ.ग. हाउसिंग बोर्ड, डिवीजन-रायगढ़, द्वारा-संपदा अधिकारी, पता-स्टेडियम के पास, बोईर-दादर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अटल विहार योजना, खरवानी, पता-बारमकेला" जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/10/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-SM-EXP-2024-02194 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 10,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 22.08.2024 को जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 1,00,000/- जमा किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	